



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092024-257024
CG-DL-E-10092024-257024

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 514]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2024/भाद्र 19, 1946

No. 514]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2024/BHADRA 19, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 556(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2024 है।
(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) में,-
(i) खंड (घक) में, "फीस उद्गृहीत की जाती है" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"और ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम आनबोर्ड यूनिट या किसी ऐसी डिवाइस या आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकागनिशन डिवाइस या फास्टैग या उनके किसी संयोजन के माध्यम से संग्रहित की जाती है";

(ii) खंड (चघ) में, “उपयोगिता फीस के इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“और ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम आनबोर्ड यूनिट या किसी ऐसी डिवाइस या आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकागनिशन डिवाइस या फास्टैग या उनके किसी संयोजन के माध्यम से संग्रहण”;

(iii) खंड (चघ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(चड) “ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम आनबोर्ड यूनिट” से ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम आनबोर्ड यूनिट से युक्त यान में गैर-अंतरणीय और दृढ़ता से फिट की गई डिवाइस अभिप्रेत है;’;

3. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम आनबोर्ड यूनिट से युक्त यान के लिए अनन्य लेन चिह्नित की जा सकेगी और यदि ऐसी लेन में कोई यान विधिमान्य आनबोर्ड यूनिट के बिना प्रवेश करता है, तो उस फीस प्लाजा पर लागू उपयोगिता फीस के दो गुना के समतुल्य फीस संदत्त करेगा:”।

4. उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(5) राष्ट्रीय अनुज्ञा यान से भिन्न यांत्रिक यान का ड्राइवर, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, जो, यथास्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग के उसी खंड, स्थाई पुल, बाइपास या सुरंग का प्रयोग करता है, उससे ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम पर आधारित उपयोगिता फीस संग्रहण प्रणाली के अधीन एक दिन में प्रत्येक दिशा में बीस किलोमीटर तक की यात्रा के लिए शून्य उपयोगिता फीस उद्बृंहित की जाएगी और यदि तय की गई यात्रा बीस किलोमीटर से अधिक है, तब यात्रा की वास्तविक दूरी के लिए फीस प्रभारित की जाएगी।”।

[फा.सं. एच-25016/01/2023-टोल]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 725(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2023 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2024

G.S.R. 556(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely:-

1.- (1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of rule 2,-

(i) in clause (da) after the words “highway or expressway”, the following shall be inserted, namely:-

“and collected through Global Navigation Satellite System On-Board Unit or any such device or Automatic Number Plate Recognition Device or FASTag or any combination thereof”;

(ii) in clause (hd), after the words “user fees”, the following shall be inserted, namely:-

“through Global Navigation Satellite System On-Board Unit or Automatic Number Plate Recognition Device or FASTag or any combination thereof”;

(iii) after clause (hd), the following clause shall be inserted, namely:-

“(he) “Global Navigation Satellite System On-Board Unit” means a non-transferable and firmly fitted device in a vehicle linked to Global Navigation Satellite System based user fee collection;”;

3. In rule 6 of the said rules, in sub-rule (3), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that exclusive lane can be earmarked for Global Navigation Satellite System On-Board Unit fitted vehicle and in case vehicle enters such lane, without a valid, functional Global Navigation Satellite System On-Board Unit, shall pay a fee equivalent to two times of the user fee applicable at that fee plaza:”.

4. In rule 9 of the said rules, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(5) A driver, owner or person in-charge of a mechanical vehicle other than National Permit vehicle who makes use of the same section of national highway, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, shall be levied a zero-user fee upto twenty kilometers of journey in each direction in a day under Global Navigation Satellite System based user fee collection system and if the distance travelled is more than twenty kilometers, then fee will be charged for actual distance travelled.”.

[F. No. H-25016/01/2023-Toll]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.

Note: -The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub section-(i) *vide* notification number G.S.R. 838(E), dated the 5th December, 2008 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 725(E) dated the 6th October, 2023.